इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 595] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 नवम्बर 2018—कार्तिक 11, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर 2018

फा. क्र. 4886-2018-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रदेश के पन्ना, सीधी, सिवनी, छिंदवाड़ा, राजगढ़ एवं नीमच जिलों में संलग्न सूची में उल्लिखित अधिकारियों को विधानसभा निर्वाचन का कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.